

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 30, 1943 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1156 / वि०स० / संसदीय / 102(सं)-2021 लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2021

> अधिसूचना प्रकीण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) संक्षिप्त नाम और (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।
 - (2) यह दिनांक 27 सितम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1978 की धारा 5 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 5 में.—

- (एक) उपधारा (2) में शब्द "ऐसी अवधि के लिये जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा" रख दिये जायेंगे;
- (दो) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द ''तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये से कम की शास्ति'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

- 3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के हित में औद्योगिक अधिष्ठानों में मजदूरी का यथासमय संदाय करने और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1978) किया गया है।

विनिधान प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ विनियामक तथा अनुपालन भार कम करने के लिए और औद्योगिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप को गित देने के उद्देश्य से उद्योग और आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार ने सम्प्रति अनुपयोगी हो चुके अधिनियमों / नियमाविलयों / विनियमाविलयों को समाप्त करने अथवा उनका वैधीकरण करने के लिये निदेशित किया है। भारत सरकार के पूर्वोक्त निदेश के अनुसरण में कारावास के उपबंध को जुर्माने से प्रतिस्थापित करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन।

उत्तर प्रदेश

सन् 2021

अध्यादेश संख्या ७

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 2021 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978

- धारा 5—(1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान का अधिष्ठाता किसी समय एक लाख रुपये से अधिक किसी मजदूरी बिल के संदाय में व्यतिक्रम नहीं करेगा।
 - (2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसी अविध के लिए, जो तीन मास से कम न होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है कारावास से और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय किसी पर्याप्त और विशेष कारण से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

> आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 848/XC-S-1-21-48S-2021 Dated Lucknow, December 20, 2021

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Audyogic Shaanti (Mazdoori Ka Yathasamay Sandaay) (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 16th December, 2021.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL PEACE (TIMELY PAYMENT OF WAGES) (AMENDMENT) BILL, 2021

Α

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act, 1978.

It Is Hereby enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) (Amendment) Act, 2021.

 Short title and commencement
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from 27th September, 2021.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 5 of 1978

- 2. In section 5 of the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act, 1978,—
- (i) in sub-section (2) *for* the words "imprisonment for a term which shall not be less than three months but may extend to three years and shall also be liable to fine", the words "fine which shall not be less than rupees fifty thousand but may extend to rupees one lakh" shall be *substituted*;
- (ii) in proviso to sub-section (2) *for* the words "sentence of imprisonment for a term of less than three months", the words "penalty of less than rupees fifty thousand" shall be *substituted*.

Repeal and savings

- 3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment U.P. of Wages) (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

 Ordinance no. 7 of 2021
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) Act, 1978 (U.P. Act no. 5 of 1978), has been enacted to provide, in the interests of maintenance of industrial peace, for timely payment of wages in industrial establishments and for matters connected therewith.

To reduce regulatory and compliance burden for the purpose of investment promotion and in order to give impetus to industrial and economic activity, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India, has directed to abolish or decriminalize such Acts/Rules/Regulations, which are not useful at the present time . In pursuance of the aforesaid direction of the Government of India it was decided to amend section 5 of the aforesaid Act by substituting the provision of imprisonment with fine.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Industrial Peace (Timely Payment of Wages) (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 7 of 2021) was promulgated by the Governor on 27^{th} September, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

at all material times.

SWAMI PRASAD MAURYA Mantri, Shram Evam Sewayojan.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 478 राजपत्र—2021—(1090)—599+25+5= 629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)। 478 RPH 2021 (U.P. Audogik) data 4e sansdiya fol. (makeup on data 8d)